# प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 11.12.2024 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

## 1-अवैध चाकू के साथ एक आरोपी गिरफ्तार,थाना मझोलाः-

अवगत कराना है आज दिनांक 11.12.2024 को उ0नि0 श्री देवेंद्र कुमार थाना मझोला द्वारा मय हमराही पुलिसबल के आरोपी अंकित कुमार पुत्र सूरजपाल निवासी पेपटपूरा  शिव मंदिर के पास वाली गली मझोला,मुरादाबाद को एक अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना मझोला पर मु0अ0सं0- 1082/24 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तः-**

अंकित कुमार पुत्र सूरजपाल निवासी पेपटपूरा  शिव मंदिर के पास वाली गली मझोला,मुरादाबाद

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

उ0नि0 देवेंद्र कुमार थाना मझोला,मुरादाबाद।
हे0का0 रविकांत थाना मझोला,मुरादाबाद।
का0 विपिन कुमार थाना मझोला,मुरादाबाद।

## 2-थाना ठाकुरद्वारा पुलिस ने एक वारंटी को किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 11.12.2024 को थाना ठाकुरद्वारा पुलिस ने अभियुक्त सद्दाम पुत्र सगीर निवासी ग्राम फरीदनगर थाना ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद सम्बन्धित मुकदमा न0-58019,अ0स0 254/18  धारा- 3/5/8 सीएस एक्ट व धारा- 11 पशु क्रूरता अधि0 को गिरफ्तार किया।

**गिरफ्तार अभियुक्तः-**

सद्दाम पुत्र सगीर निवासी ग्राम फरीदनगर थाना ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

उ0नि0 श्री मनीष कुमार थाना ठाकुरद्वारा,मुरादाबाद।
का0 मनीष कुमार थाना ठाकुरद्वारा,मुरादाबाद।

**3- थाना मैनाठेर पुलिस द्वारा हत्या की घटना का अनावरण करते हुये नामजद वांछित 05 अभियुक्त गण को गिरफ्तार कर ,कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अवैध तमंचा,कारतूस,दो दरांती आदि किए बरामद।**

अवगत कराना है कि दिनांक 08.12.2024 को वादिनी श्रीमती रामवती उर्फ रामरती पत्नी ओमपाल नि0 ग्राम- कलाल खेडा थाना- मैनाठेर ,जिला मुरादाबाद ने अभियुक्तगण द्वारा पूर्व मे चल रही रंजिश को लेकर घात लगाकर बैठे विपक्षीगण व अपने जेठ के घर जा रही वादिनी श्रीमती रामवती उर्फ रामरती पत्नी ओमपाल सिंह व बेटे बृजपाल सिंह पर राजपाल पुत्र रोशन व विपक्षी गण के घर के सामने अभियुकतगण द्वारा गन्दी-2 गालियां देते हुये गडांसा, तमन्चा, लाठी-डन्डे से हमला कर वादिनी के पति के सिर पर गंडासा मारकर व भारत सिंह द्वारा तमन्चे से गोली मारकर हत्या कर देने व जान से मारने की धमकी देकर भाग जाने के सम्बन्ध में थाना मैनाठेर पर तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना मैनाठेर पर मु0अ0सं0- 418/2024 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1)/352/351(3) BNS व धारा- 27 A.Act पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण तथा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बिलारी, के पर्यवेक्षण में विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम थाना मैनाठेर पुलिस द्वारा आज दिनांक 11.12.2024 को नामजद वांछित अभियुक्तगण 1.भारत सिंह 2.कुलवन्त सिंह 3.रंजीत सिंह 4. संजीव कुमार 5.देवराज सिंह पुत्रगण स्व0 लाखन सिंह निवासीगण ग्राम कलालखेडा थाना मैनाठेर,मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया,अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अवैध तमंचा मय 02 जिंदा कारतूस,01 खोखा कारतूस व 02 दरांती(गंडासा) बरामद किये गये।

**पूछताछ का विवरण–**

पुलिस द्वारा पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त भारत सिंह ने बताया कि मैने BSc,Bed किया है और गाँव में स्कूल चलाता हूँ। जब मैं 12-13 वर्ष का था, तब मेरा ओमपाल के साथ झगड़ा हो गया था, उसमें मेरा हाथ टूट गया था और मेरे पिताजी लाखन सिंह के सिर में ओमपाल ने पत्थर मारा था, जिससे उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गयी थी, उसका मुकदमा थाने पर वर्ष 2006 में लिखाया था और ओमपाल के पिता भोगराज ने हमारे खिलाफ लिखाया था, मुकदमा अदालत मे चल रहा है। मुकदमा चलते हुए लगभग 18 वर्ष हो गये। हम 6 भाई है, सबसे बड़े कुलवन्त दूसरे मैं भारत तथा तीसरा रन्जीत ,चौथा जगत सिंह , पांचवा सन्जीव छटवा-देवराज सभी सामिल एक साथ रहते है। सभी भाई पढे लिखे है। ओमपाल जब गाँव आता था तो हमसे गाली- गलोज करता था गाँव के लोग की हमे तायना देते थे कि तुम पर बाप का बदला तो लिया नही गया वैसे तीस मार खाँ बनते हो। यह बात गाँव का कोई भी व्यक्ति कह देता था तो हमे बहुत बुरी लगती थी। हमरा दुश्मन ओमपाल, जिसने मेरे पिता को मारा था, हमारे घर के बराबर में पंजाब से आकर घर बना रहा था और हमसे गाली गलौज करता था, हम सभी भाईयो ने लगभग 07 दिन पहले अपने चचरे ताऊ के साथ मिलकर योजना बनाई कि ओमपाल को हटाना पड़ेंगा तभी बाप का बदला पूरा होगा। सभी भाई एवं चचेरा ताऊ हरपाल तैयार हो गये। दिनांक 8/12/2024 को ओमपाल अपने घर की चिनाई कर रहा था तो हम सभी भाई घर पर चचेरे ताऊ हरपाल के साथ इकट्ठा हुऐ। और ओमपाल चिनाई

बन्द होने के बाद रात्री में ओमपाल की हत्या करने की ठान ली। दि0 8/12/24 की रात्री में ओमपाल अपने निर्माणधीन मकान से हमारे घर के सामने से होकर अपने भाई काला के घर की ओर जा रहा था। ओमपाल की पत्नी रामवती व लड़का ब्रजपाल आगे- 2 जा रहे थे तभी हमने तमन्चा ,जिसमें मेरे भाई कुलवन्त पर दराती (गंडासा) व रन्जीत पर दराती (गड़ासा) व सन्जीव पर चाकू व देवराद पर तमन्चा व जगत सिंह व चचेरे ताऊ पर डन्डा थे,को लेकर ओमपाल पर हमला कर दिया, मैंने पीछे से ओमपाल के अपने हाथ मे लिऐ तमन्चा 315 बोर से गोली मार दी तो ओमपाल नीचे गिर गया, फिर सभी भाईयो व चचेरे ताऊ ने दराती (गड़ासा) एंव डन्डा से ओमपाल के सिर काट दिया। पूर्ण भरोसा हो गया कि ओमपाल मर गया तो हम घर से भाग गये थे ।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण :-**

1.भारत सिंह पुत्र स्व0 लाखन सिंह

2.कुलवन्त सिंह पुत्र स्व0 लाखन सिंह

3.रंजीत सिंह पुत्र स्व0 लाखन सिंह

4. संजीव कुमार पुत्र स्व0 लाखन सिंह

5.देवराज सिंह पुत्र स्व0 लाखन सिंह निवासीगण ग्राम कलालखेडा थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद

**पंजीकृत अभियोग-**

1.मु0अ0सं0- 418/2024 धारा-191(2)/191(3)/190/103(1)/352/351(3) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद

2. मु0अ0सं0 419/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम संजीव कुमार ।

3. मु0अ0सं0 420/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम देवराज सिंह ।

**बरामदगी –**

1.(आला कत्ल) एक अवैध तमंचा 315 बोर ,एक खोखा कारतूस , 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

2. 02 दरांती (गंडासा )

**गिरफ्तार करने वाली टीम –**

1.प्र0नि0 श्री किरनपाल सिंह थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद ।

2. उ0नि0 श्री देवेन्द्र उपाध्याय थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद न

3.उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद ।

4. हे0का0 दीनदयाल थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद ।

5.हे0का0 कपिल कुमार थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद ।

6.का0 शुभम भारद्वाज थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद ।

7.का0 मोहर सिंह थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद ।

8.का0 अर्जुन सिंह थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद ।

9.का0 लवकुश थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद ।

10. का0 जितेन्द्र कुमार थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद ।